[redacted]

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0302 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/11/2025 12:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Secti (धार
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/11/2025 Date To (दिनांक तक): 14/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:10 बजे Time To (समय तक): 09:51 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/11/2025 Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/11/2025 12 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 76 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT A CABLE

(b)Address(पता): AAROPI KA SARKARI NIVAS, RAJKIYA TAROMA CENTAR, BILARA JILA J PUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): YASHVANT

(b) Father's Name (पिता का नाम): OMPRAKESH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1993 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SUTHARO KA BAS, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SUTHARO KA BAS, BILARA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.BUDHRAJ AND OTHERS		पिता:BHAKARRAM	1. AAM CHAUK GRAM RAVAR,BILARA,BILARA,JODHPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	370000(एक लाख रूपये भारतीय प्रचलित मुद्रा व 270000 डमी करेन्सी)	3,70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुरविषय- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत ।महोदयजी,उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै यशवन्त वैष्णव पुत्र श्री ओमप्रकाश वैष्णव जाति वैष्णव उम्र 35 वर्ष निवासी सुथारों का बास, बिलाडा जिला जोधपुर का रहनें वाला हूं। मेरे छोटे भाई (चचेरे भाई) श्री खुशवन्त वैष्णव पुत्र राजेन्द्र कुमार नें करीब एक माह पहलें जनता क्लिनिक में फार्मासिस्ट के पद हेतु आवेदन कर रखा है। उक्त भर्ती प्रक्रिया जीएस एण्ड कम्पनी द्वारा होनी है। उक्त भर्ती में सीएमएचओं जोधपुर ग्रामीण द्वारा राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा में कार्यरत डा0 बुधराज बिश्नोई के मार्फत फार्मासिस्ट के पद हेतु दो से तीन लाख रूपयें प्रति व्यक्ति व सफाई कर्मी के पद हेतु 50 हजार से एक लाख रूपयें तक प्रति व्यक्ति सें रिश्वत के मांग कर प्राप्त कर रहे है। जिन व्यक्तियों के रूपये समय पर पहुंच जायेगे उन्हें नियुक्ति प्रदान की जावेगी। मेरे भाई खुशवन्त वैष्णव सें डा0 बुधराज बिश्नोई रूपयों की मांग सीधे नही कर रहा है। उसने बताया कि मै फार्मासिस्ट के पद पर योग्य हूं। इसलियें रिश्वत देकर नियुक्ति नही लेनी है, बल्कि CMHO डा0 मोहनदान देथा व डा0 बुधराज बिश्नोई राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर कों रिश्वत लेतें हुए रंगे हाथ पकडवाना है। मेरे भाई नें मुझे टेप कार्यवाही करवानें के लिए अधिकृत पत्र भी दिया है। जो मै आपकों पेश कर रहा हूं। मेरे मोहल्लें के दीपक जिसनें भी उक्त भर्ती प्रक्रिया में सफाई कर्मी के पद हेतु आवेदन कर रखा है। यह दीपक भी सफाईकर्मी के पद हेतु डा0 मोहनदान देथा CMHO जोधपुर ग्रामीण व बुधराज बिश्नोई कों रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता है। रिश्वत नही देना चाहता है। इनकों साथ लेकर आया हूं। दिनांक 09.11.25 कों मै डा0 बुधराज बिश्नोई सें राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा में जाकर मिला और मैनें मेरे भाई खुशवन्त वैष्णव के फार्मासिस्ट पद के आवेदन बाबत बताया तों उन्होने मुझे कहा कि उक्त पद हेतु सिफारिश व योग्यता सें कोई कार्य नही होगा, जो व्यक्ति समय पर रूपयों का बन्दोबस्त कर देगा, इनकों CMHO डा0 मोहनदान देथा कम्पनी से नौकरी दिलवा देगे। आपकों अपनें भाई को फार्मासिस्ट पद पर लगाना है तों तीन लाख रूपयें देने होगे। जिस पर मैनें उनसे कहा कि मै घरवालों को पूछकर वापिस बता दूंगा। मै मेरे भाई खुशवन्त वैष्णव के फार्मासिस्ट पद पर चयन हेतु रिश्वत राशि तीन लाख रूपयें नही देना चाहता बल्कि डा0 मोहनदान देथा CMHO जोधपुर ग्रामीण व डा0 बुधराज बिश्नोई राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा कों रिश्वत राशि देतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी इन दोनों व्यक्तियों डा0 मोहनदान देथा व डा0 बुधराज बिश्नोई सें कोई रंजिश नही है, ना ही कोई लेन देन बकाया है। मै मेरे भाई के आवेदन पत्र की फोटो प्रति, मुझे अधिकृत करनें बाबत सहमति पत्र, दीपक की सफाईकर्मी पद हेतु आवेदन की फोटो प्रति व मेरे व दीपक के आधार कार्ड की फोटो प्रति आपकों पेश कर रहा हू। हम दोनों की रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करे।दिनांक- 12.11.25भवदीयएसडी यशवन्तयशवन्त वैष्णव पुत्र श्री ओमपकाशवैष्णव निवासी सुथारों का बास,बिलाडा जिला जोधपुर मोबाईल नम्बर[redacted]

कार्यवाही पुलिस दिनांक 12/11/25 समय 12.10PM इस समय परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव पुत्र श्री ओमप्रकाश वैष्णव उम्र 35 वर्ष निवासी बिलाडा जिला जोधपुर नें अपनें मित्र श्री दीपक पुत्र श्री महेश कुमार लखारा, उम्र 26 वर्ष निवासी बिलाडा जिला जोधपुर के साथ उपस्थित होंकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर में पेश की। श्री यशवन्त वैष्णव की हस्तलिखित रिपोर्ट जिस पर श्री यशवन्त वैष्णव व श्री दीपक के हस्ताक्षर है, के अवलोकन एवं दोनों से पूछताछ के आधार पर मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जानें पर नियमानुसार मांग सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।एसडी यशवन्त एसडी दीपक एसडी/12.11.25(चक्रवर्तीसिंह राठौड़)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुरदिनांक 12.11.2025 समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री यषवन्त व सह परिवादी श्री दीपक से मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी व सहपरिवादी की संयुक्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम द्रष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 को तलब कर उसका परिचय परिवादी श्री यषवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक से करवाया गया। दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को आदान प्रदान कराये गये। कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको चालु करने, बन्द करने, संचालन करने के प्रक्रिया परिवादी श्री यषवन्त, सह परिवादी श्री दीपक व श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईश की गई। साथ ही परिवादी श्री यशवन्त ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि

सीएमएचओं जोधपुर ग्रामीण डा0 मोहनदान देथा हमारें से इस मामले में सीधे वार्ता नही करेगा। डा0 मोहनदान देथा बहुत ही भ्रष्ट व चालाक है। वह डा0 बुधराज बिश्नोई से ही वार्ता करता है। इस कारण डा0 मोहनदान देथा सें मेरी वार्ता नही हो पायेगी। वह इस भर्ती मामलें में डा0 बुधराज बिश्नोई से ही वार्ता कर रहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डा0 बुधराज बिश्नोई से ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवानें का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री यशवन्त नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि डा अभी डॉ. बुधराज विश्नोई बिलाड़ा में है या नहीं मैं बिलाड़ा जाकर आपको बता दुंगा। जिस पर परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया तथा परिवादी व सह परिवादी के सामनें ही श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को हिदायत दी की आप परिवादी से सम्पर्क करके बिलाड़ा पहुंचकर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर मांग सत्यापन की कार्यवाही आरोपी श्री बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर से करके लावें एवं कार्यवाही की गोपनीयता बरततें हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतावें।वक्त 02.25 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी श्री यशवन्त से मैने अपने मोबाईल नं. [redacted] से परिवादी श्री यशवन्त के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल किया तो परिवादी श्री यशवन्त ने बताया कि आप बिलाड़ा आकर मेरे को कॉल करना मैं व श्री दीपक आपको बिलाड़ा मैं मिल जायेंगे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकाल कर उसको खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत के साथ बिलाड़ा की तरफ मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रवाना किया।वक्त 05.32 पी.एम. पर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 ने अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल कर बताया कि परिवादी श्री यशवन्त एवं सहपरिवादी श्री दीपक को संदिग्ध अधिकारी डॉ. बुधराज विष्नोई चिकित्सा अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री यशवन्त को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा रवाना किया गया था। कुछ समय बाद परिवादी ने मन् कानि. को फोन कर बताया कि अभी डॉ. बुधराज यहा नहीं है 10-15 मिनट बाद में आयेंगे। जिस मैंने वापिस बाहर मेरे पास आने हेतु कहा जिस पर परिवादी व सह परिवादी मेरे पास उपस्थित आये तथा परिवादी ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द किया जिसका मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। कुछ समय बाद परिवादी ने मन् कानि. छैलाराम कानि. को बताया कि डॉ. बुध राज ट्रोमा सेन्टर में आ गया है। जिस मैंने दुबारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी श्री यशवन्त को सुपुर्द उसकी मोटर साईकिल से सहपरिवादी श्री दीपक के साथ राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा के लिये रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी व सह परिवादी मेरे पास उपस्थित आये तथा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द किया जिसको मैंने बन्द करके स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मन् कानि. को बताया कि मेरे व डॉ. बुधराज के मध्य मेरे काम एवं सह परिवादी श्री दीपक के काम के लिये वार्ता हुई, दौराने वार्ता डॉ. बुधराज ने मेरे काम के लिये 3 लाख रूपये व श्री दीपक के काम लिये 70 हजार रूपये की मांग की व परसो पैसे लेकर आने हेतु कहा है। जिस पर मैने अपनें मोबाईल से परिवादी की श्रीमान से भी वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी अपनें कथनों की ताईद की। श्रीमान द्वारा मुझे परिवादी व सह परिवादी को वही रूखस्त कर आरोपी द्वारा मांगी जानी वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 14.11.2025 को सुबह जल्दी ब्यूरो चौकी जोधपुर में आने एवं मन् कानि. को भी वहां से रवाना होकर ब्यूरो चौकी पहुचने की हिदायत दी।वक्त 08.00 पी.एम. पर गोपनीय रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने बिलाड़ा की तरफ गया हुआ श्री छैलाराम कानि. नं. 46 उपस्थित आया तथा स्विच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया और बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी से मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी श्री यशवन्त द्वारा बताये स्थान पर बिलाड़ा जाने हेतु ब्यूरो चौकी से मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर के रवाना होकर बिलाड़ा पहुंच मैंने मेरे मोबाईल से परिवादी के मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी यशवन्त अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास उपस्थित आया। जिस पर परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा के पास पहुंचा। जहां सह परिवादी श्री दीपक भी उपस्थित आया। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी श्री यशवन्त को सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत के साथ परिवादी की मोटरसाईकिल से सहपरिवादी श्री दीपक को भी साथ में राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा डॉ. बुध राज से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी ने मन् कानि. को फोन कर बताया कि अभी डॉ. बुधराज यहां नहीं है 10-15 मिनट बाद में आयेंगे। जिस मैंने वापिस बाहर मेरे पास आने हेतु कहा जिस पर परिवादी व सह परिवादी मेरे पास उपस्थित आये तथा परिवादी ने कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द किया जिसका मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। कुछ समय बाद परिवादी ने मन् कानि. छैलाराम कानि. को बताया कि डॉ. बुध राज ट्रोमा सेन्टर में आ गया है। जिस मैंने दुबारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी को सुपुर्द उसकी मोटर साईकिल से सहपरिवादी के साथ राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा के लिये रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी व सह परिवादी मेरे पास उपस्थित आया तथा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् कानि. को सुपुर्द किया जिसको मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित तथा परिवादी ने मन् कानि. को बताया

कि मेरे व डॉ. बुधराज के मध्य मेरे काम एवं सह परिवादी श्री दीपक के काम लिये वार्ता हुई दौराने वार्ता डॉ. बुधराज ने मेरे काम के लिये 3 लाख रूपये व श्री दीपक के काम लिये 70 हजार रूपये की मांग की व परसो पैसे लेकर आने हेतु कहा है। उक्त मांग सत्यापन वार्ता के आधार पर डा0 बुधराज बिश्नोई के द्वारा परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव के चचेरे भाई श्री खुशवन्त को जनता क्लिनिक में फार्मासिस्ट के पद हेतु 3 लाख रूपयें रिश्वत राशि की मांग करना व परिवादी श्री यशवन्त के मित्र श्री दीपक की जनता क्लिनिक में सफाईकर्मी के पद हेतु 70,000 रूपयें की मांग करना पाया गया है। जिस पर डा0 बुधराज बिश्नोई के विरूद्ध दिनांक 14.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही करनें का निर्णय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। आईन्दा गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जावेगी। दिनांक 13.11.2025 समय 12.52 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवष्यकता होनें के कारण एक पत्र श्रीमान सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम मुर्तिब कर कार्यालय पत्रांक 3697 दिनांक 13.11.2025 जारी कर जरिये ई-मेल प्रेषित किया गया एवं जरिये दुरभाश वार्ता भी की गई। साथ ही उक्त पत्र की एक प्रति देकर कार्यालय के श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 को भी गवाहान लानें हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के लिए रवाना किया गया। समय 06.00 पी.एम. पर श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 मय दो स्वतन्त्र. गवाहान को साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। साथ आयें गवाहान से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने बारी-बारी अपना नाम श्री राजेन्द्र सैन पुत्र श्री भीखाराम जाति सैन उम्र 31 साल निवासी ग्राम माणकलाव तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री बलदेव राम पुत्र श्री बोहराराम जाति जाट उम्र 31 साल निवासी ग्राम बावरला तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। दोनों गवाहान को कार्यालय में आनें के मन्तव्य से अवगत कराया गया। दोनों गवाहान को गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 14.11.2025 को समय 6 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।समय 06.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई व डा0 मोहनदान देथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जोधपुर के मध्य, आरोपी डा0 बुधराज द्वारा रिश्वत राशि लेन देन के दौरान आपसी वार्ता होनें की संभावना के मध्यनजर एक टीम कों जोधपुर में डा0 मोहनदान देथा को दस्तयाब करनें हेतु श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर से वार्ता की गई। जिस पर उन्होनें श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर कों एक टीम के रूप में जोधपुर में तैयार रहनें हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कार्यालय की श्रीमति सुनीता कुमारी निरीक्षक पुलिस को भी उक्त टीम के साथ रहकर कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया। कार्यालय में उपस्थित ब्यूरों स्टाफ को भी दिनांक 14.11.2025 को समय 6 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदायत दी गई।दिनांक 14.11.2025 समय 06.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबंद शुदा परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व उसका मित्र श्री दीपक कार्यालय में उपस्थित आये। साथ ही परिवादी श्री यशवन्त नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 1,00,000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं साथ ही परिवादी ने बताया कि मेरे से 1,00,000 रूपये की व्यवस्था ही हो पाई है, इस कारण 2,70,000 रूपयें की डमी करेन्सी 500-500 रूपयें के 540 नोट भी लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथ ही कार्यालय में पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र. गवाहान व ब्यूरों स्टाफ भी कार्यालय में हाजिर आयें है।समय 06.20 ए.एम. पर परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक कार्यालय में उपस्थित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से उपस्थित आये दो स्वतन्त्र गवाह भी उपस्थित है। दोनो उपस्थित कार्मिकों एवं उपस्थित परिवादी श्री यशवन्त व सह परिवादी श्री दीपक का आपस में परस्पर परिचय करवाकर दोनो कार्मिको को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर परिवादी श्री यशवन्त व दीपक द्वारा लिखित रिपोर्ट दिनांक 12.11.2025 का अवलोकन करवाया गया एवं परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 12.11.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड ह,ै के मुख्य अंश को सुनाया गया। दोनों कार्मिकों द्वारा परिवादी व सह परिवादी की रिपोर्ट पढकर परिवादी से तसली से पुछताछ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश सुनकर ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी। उक्त रिकार्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया। जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर परिवादी श्री यशवन्त व सह परिवादी श्री दीपक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों पर किये गये।वक्त 06.45 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् चक्रवर्तीसिंह राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर नें परिवादी श्री यशवन्त पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति वैष्णव उम्र 35 साल निवासी सुथारो का बास, बिलाड़ा जिला जोधपुर को संदिग्ध डॉ. बुधराज बिश्नोई चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जिला जोधपुर को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करनें हेतु कहा तों परिवादी श्री यशवन्त ने अपनें पास से 500-500 रूपयें के 200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 1,00000/- रूपयें पेश किये एवं शेष रूपयों की व्यवस्था नही होनें सें 2,70,000/-(दो लाख सत्तर हजार रूपयें) जिसमें 500-500 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाले डमी करेंसी के कुल 540 नोट पेश किये। इस

प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 3,70,000/- रूपयें (1,00000 रूपयें भारतीय मुद्रा एवं 2,70,000 रूपयें डमी करेंसी) पेश किये। उक्त पेश की गई डमी राशि के प्रत्येक नोटों पर मन् चक्रवर्तीसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किये गये। परिवादी द्वारा उपरोक्त रूबरू गवाहान के मेरे समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 1,00000/-रूपये के नोटों उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 2,70,000/- रूपयें भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली डमी करेंसी के 500-500 के डमी करेन्सी के कुल 540 नोट जिन पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA 000000 सभी नोटो पर समान अंकित है जिन पर फिनोफथलीन पाउडर लगवानें हेतु श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में कुल 740 नोट, कुल राशि 3,70,000 रूपयें (200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 540 नोट डमी करेंसी) को एक अखबार पर रखा जाकर श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा उक्त सभी नोटों एवं डमी करेंसी पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर 100-100 नोटों की 7 गड्डीया बनाई उक्त गड्डीयों के उपर व नीचे भारतीय मुद्रा के प्रचलित नोटो को लगाया गया एवं 40 नोट भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये की अलग गड्डी बनाई जाकर उक्त सभी गड्डीयो को एक पुराने अखबार में रखकर अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर उस पर रबड़ लगाकर परिवादी के पास मौजुद एक प्लास्टिक की थैली में रखवाया गये। ताबाद परिवादी श्री यशवन्त की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र सैन से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन एवं अपने आधार कार्ड के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को कुल 3,70,000/-रूपये (200 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के एक लाख रूपये एवं 540 नोट डमी करेंसी दो लाख सत्तर हजार रूपये) का पुराने अखबार में रखी राशि जो प्लास्टिक की थैली में है को परिवादी को सुपुर्द की गई। परिवादी को हिदायत दी गई की प्लास्टिक की थैली में पुराने अखबार में लपेटकर रखी रिश्वत राशि को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने पर आप अपने मोबाईल नं [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के [redacted] एवं [redacted] के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/कॉल अथवा दोनो हाथ सिर पर दो बार फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व टेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें।

इसके पश्चात् एक साफ प्लास्टिक की गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्लास्टिक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो एवं अखबार के पैकेट के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि/अखबार का पैकेट को प्राप्त किया हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार के उपर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार एवं उक्त प्लास्टिक के गिलास को भी श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टॉफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास कुछ आकस्मिक खर्च के 5000/-रूपये रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित अलमारी में श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से रखवाया जाकर पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय मे छोड़ा गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वति राशि एवं द्रष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि मुर्तिब कर सम्बंधितान के हस्ताक्षार करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई।वक्त 08.20 ए.एम. पर मन् चक्रवर्तीसिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री प्रकाशचन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक, भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46, श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270, स्वतन्त्र गवाह श्री राजेन्द्र सैन एवं श्री बलदेवराम एवं परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक के एवं श्री प्रेमसिंह कानि.

चालक मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5806 एवं एक निजी वाहन से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर जिसमें 32 जीबी का नया मैमोरी कार्ड डाला हुआ एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर शहर से बिलाडा जिला जोधपुर के लिए रवाना हुए।वक्त 10.15 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के वक्त 09.35 ए.एम. पर बिलाडा बस स्टैण्ड पहुंचे जहां पर सरकारी वाहन व निजी वाहन कों रूकवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सह परिवादी श्री दीपक की पूर्व में खडी मोटरसाईकिल बस स्टैण्ड से मंगवाकर परिवादी श्री यशवन्त को सुपर्द की गई। कार्यालय का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 से चालू करवाकर परिवादी श्री यशवन्त को सुपर्द कर उनकी मोटर साईकिल से राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के लिए आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के लिए रिश्वत राशि लेन देन के लिए श्री छैलाराम कानि. कों भी परिवादी के साथ मोटर साईकिल पर रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन से बिलाडा बस स्टैण्ड से राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के लिए रवाना हुआ। दोनों वाहनों को राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के आसपास गोपनीय रूप से खडा करवाया गया। ब्यूरो जाब्ता में से श्री अमित कानि. कों भी ट्रोमा सेन्टर के मुख्य गेट पर सह परिवादी श्री दीपक के साथ लेन देन के ईशारे के इन्तजार में खडा किया गया। शेष सभी दोनों वाहनों में रिश्वत राशि लेन देन के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।समय करीब 09.51 ए.एम. पर परिवादी श्री यशवन्त नें आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई के सरकारी निवास से बाहर आकर गोपनीय ईशारा रिश्वत राशि लेन देन का श्री छैलाराम कानि. को किया गया। श्री छैलाराम कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के साथ गाडी में बैठे श्री भंवरलाल हैड कानि. को मोबाईल सें फोन करके रिश्वत राशि लेन देन की जानकारी दी जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निजी वाहन को बाहर ही खडा करके व सरकारी वाहन को अन्दर करनें का ईशारा कर पैदल ही ब्यूरों जाब्ता व स्वतन्त्र गवाहान के राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के मुख्य गेट में प्रवेश किया गया। प्रवेश करनें पर ट्रोमा सेन्टर के अन्दर ही परिवादी एक आवास के बाहर से राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा मे हमारे सामनें आतें हुआ मिला। जिसको पूछा तों उसनें बताया कि डा0 बुधराज नें अपनें सरकारी निवास में रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है, उसके बाद थोडा आगे ब्यूरों का कानि. श्री छैलाराम एक व्यक्ति को दस्तायाब करतें हुए दिखा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी तुरन्त ब्यूरो टीम सहित उस व्यक्ति के पास पहुंचे। जिसने वहां से भागनें की कोशिश की जिसको ब्यूरों जाब्ता की मदद से पकडकर उससे उसके सरकारी आवास का पूछा तो मना करनें लग गया। इसके बाद परिवादी श्री यशवन्त के पास से ब्यूरों का डिजिटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपनें सुरक्षित कब्जें में रखा। जिस पर परिवादी नें मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी नें रिश्वत राशि अपनें सरकारी आवास मे टेबल पर रखवाई गई एवं अखबार के पैकेट के उपर सें 20,000 रूपयें अपनें हाथ में लेकर रख दिये। इसके बाद आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई को मेरे पर शक हो जानें पर उसनें तुरन्त मुझे बाहर भेज दिया। और कुछ देर आवास में रूक कर बाहर आकर अपनें ही सरकारी आवास का ताला देकर चाबी अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे रख ली इतनी देर में श्री छैलाराम कानि. दौड कर मेरे पास आ गये। जिनकों मैनें रिश्वत राशि लेन देन का ईशारा श्री छैलाराम कानि. को कर दिया था। इतनें में ही आप सब आ गये। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी चाबी को ब्यूरों जाब्ता की मदद से निकलवाकर सरकारी आवास को खुलवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस थानें से इमदाद हेतु जाब्ता व महिला कानि. को तुरन्त मौके पर भिजवानें बाबत सूचना थानाधिकारी बिलाड़ा को दी। जिस पर थोडी ही देर में पुलिस थाने से श्री दिनेश् सहायक उप निरीक्षक व श्री सन्तोष कुमार कानि. नम्बर 979 एवं श्रीमति लक्ष्मी महिला कानि. नम्बर 1003 मौके पर तुरन्त पहुंचे। तब तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई को ब्यूरों जाब्ता की मदद से दस्तयाब करके रखा गया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के सरकारी आवास के अन्दर कमरें में रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री यशवन्त व सह परिवादी श्री दीपक के एवं ब्यूरो स्टाफ के समक्ष सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 कों सरकारी मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से नाम पूछा तों उसने अपना नाम डा0 बुधराज बताया इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पद का पूछा तों उसनें अपना पद एमओ होना बताया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डा0 बुधराज विश्नोई से पूछा की आप यहां पर कब से हो। जब डा0 बुधराज विश्नोई ने कहा कि 2023 से हूं। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई से पूछा कि आपनें किस चीज के पैसे लिये। जिस पर डा0 बुधराम नें बताया कि मुझे इन्होनें कहा कि काम करवाना है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से पूछा कि क्या काम करवाना है, तब आरोपी ने कहा कि पोस्टिग करवानी है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा गया कि भर्ती या पोस्टिग, तब आरोपी नें कहा कि ट्रेनी, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज विश्नोई से पूछा की आप करते हो क्या, जिस पर आरोपी द्वारा कहा गया कि मेरे पास कोई पावर नही है, सीनीयर ऑफिसर करते है। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि सीनीयर

ऑफिस का क्या नाम है। तब आरोपी नें कहा कि सीएमएचओ ऑफिस में है। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें आरोपी से कहा कि आप नाम बता दो, सीएमएचओं ऑफिस मे कौन है, सीएमएचओं खुद है या ऑफिस मे है, जिस पर आरोपी चुप रहा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि आप नाम बताओं, जब आपके हाथ में नही था, तब आरोपी नें कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा काम कराओ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि किसनें कहा। जिस पर आरोपी नें कहा कि मुझे यशवन्त नें कहा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि यशवन्त ने तो आपकों कहा पर बात किससे करवानें के लिए कहा था। जिस पर आरोपी नें कहा कि यशवन्त नें कहा कि सीएमएचओं से बात कराओ। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि सीएमएचओं का क्या नाम है। पर आरोपी नें कहा कि मोहनदान देथा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि उसकी आपसें बात हुई थी क्या, जिस पर आरोपी नें कहा कि वो कह रहा है कि करवा देना, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पूछा की आपकों मोहनदान देथा नें पैमेन्ट लेने के लिए बोला था क्या, जिस पर आरोपी नें हॉमी में सिर हिलाया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें आरोपी से पूछा कि कितना पैमेन्ट लेने के लिए कहा था। तों आरोपी नें कहा कि पैमेन्ट लेनें के लिए नही बोला था, बात करनें के लिए, पैमेन्ट मैनें लिया भी नही था, इन्होनें पैमेन्ट आगे से रख दिया लाकर सुबह आके, जब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें आरोपी से पूछा कि मतलब आपनें मोहनदान देथा के कहनें से यह बात की है, पैमेन्ट लिया था, तों आरोपी नें कहा कि उसनें कहा था कि बात कर ली उसने। इसके बात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें परिवादी श्री यशवन्त सें पूछा कि आपका नाम तों उसनें यशवन्त व पिता का नाम पूछा तों ओमप्रकाश बताया, निवासी बिलाडा बताया जब उससे पूछा कि किस बात का पैमेन्ट आपसें मांगा था और किसनें मांगा था।, जिस पर परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि बुधराज जी नें, किसलियें मांगा तो बताया कि फार्मासिस्ट की भर्ती व मेरे दोस्त की सफाई कर्मचारी के लिए, क्या नाम है आपके दोस्त का, तब पास में खडे दीपक की ओर ईशारा कर बताया कि दीपक, तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें दीपक से पूछा कि आपनें किसके लिए भरा था तों उसने बताया कि स्वीपर के लिए, नाम पूछा तों उसने दीपक बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पूछा कि भर्ती किसके थ्रू होती है, तों यशवन्त नें बताया कि एजेन्सी लेती है जीएस एजेन्सी, तब पूछा कि इनका क्या रोल रहता है। तब यशवन्त नें बताया कि सीएमएचओं साहब देते है पोस्टींग, तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें यशवन्त सें पूछा कि आपकी कोई बात हुई थी या इन्होनें कोई बात की थी सीएमएचओं से, तब यशवन्त नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि इन्होनें कहा था कि सीएमएचओं से बात करके बता दूंगा। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पूछा कि सीएमएचओं कौन है तों यशवन्त नें बताया कि मोहनदान देथा, तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें यशवन्त से पूछा कि आपसे पैसे कितनें लिये थे और मांगे कितनें थे। जिस पर यशवन्त नें कहा तीन लाख फार्मासिस्ट के व सफाई कर्मचारी के 70 हजार रूपयें, तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें यशवन्त से पूछा कि अभी आपनें इनकों कितनें दिये थे। जिस पर यशवन्त नें कहा कि 3 लाख 70 हजार रूपयें, इनमें से 20,000 रूपयें हाथ में दिये थे और 3 लाख 50 हजार रूपयें टेबल पर रखवायें थे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें आरोपी डा0 बुधाराम बिश्नोई सें पूछा ये कह रहे है कि मोहनदान देथा से बात की थी, आपके सामनें ही बात हो रही है इनसे, तब आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैनें किसी से बात नही की थी। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को कहा कि या तों आप सिफारिश कर रहे या आप पैसे रख रहे थे या उसके लिए ले रहे थे, हमें यह क्लियर करों, जिस पर आरोपी नें कहा कि पैसे वैसे की बात तो नही की, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि पैसे की डिमाण्ड हो रखी है, आपकी डिमाण्ड है। हमारें पास आपकी रिकॉर्डिग है। आपनें अपनें लिए लिये या सीएमएचओं के लिए लिये, तब आरोपी नें कहा कि पॉलिटिकल वगैरह, तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि आप क्लियर करों कि आपनें पॉलिटिकल के लिए पैसे लिये क्या, जिस पर आरोपी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कहा कि पॉलिटिकल कनैक्शन है, वो फोन करतें रहते है, ये भी पॉलिटिकल कनेक्शन सें बना हुआ है। तब आरोपी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि आपनें पैसे किसके लिए लिये थे। तब आरोपी नें कहा कि मैनें पैसे लिये ही नही, मैनें कोई डिमाण्ड नही की थी, आगे से हो रखी थी, मैने सीएमएचओ के लिये लिये। तब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें कहा कि ठीक, इसके बाद आरोपी डॉ. बुध राज चिकित्सा अधिकारी के हाथ धोवन की कार्यवाही परिवादी, सह परिवादी व रूबरू गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू आरम्भ की गई। इसके बाद बरामदे के रखे कलश में से साफ पानी मंगवाकर प्लास्टिक की एक डिस्पोजल गिलास में भरा गया। इसके बाद श्री राकेश कुमार से ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकाल कर उक्त डिस्पोजल गिलास के पानी में डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित किया गया। फिर दूसरी प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो

घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित किया गया। इसके बाद आरोपी डा0 बुधराज बिष्नोई द्वारा बांये व दाहिने हाथ के धोवन लेतें समय आरोपी द्वारा गिलास में एकदम हाथ डालने से प्लास्टिक गिलास से पानी गिर गया था साथ ही परिवादी द्वारा भी बताया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि का पैकेट प्राप्त कर इसी टेबल पर रखा था। इस कारण टेबल पर गिरें पानी से हल्का गुलाबी कलर आ गया है। जिस पर श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक सें प्लास्टिक के गिलास में हाथ से उक्त पानी को टेबल सें लिया जाकर दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क टी.-1 व टी.-2 अंकित किया गया। जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि बरामद करनें हेतु रूबरू गवाहान, परिवादी व सह परिवादी के रूबरू आरोपी के सरकारी निवास के बरामदें में बैड पर कुछ सामान रखा हुआ था, जिससे गवाहान द्वारा तलाशी ली गई तों एक स्कूल बैग के अन्दर रिश्वत राशि पाई गई। उक्त बरामद रिश्वत राशि गवाह श्री राजेन्द्र सैन को सुपर्द कर रिष्वत राषि की फर्द पेशकशी गवाह श्री बलदेव राम को सुपर्द की गई। इसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी से पूछा कि यह रिश्वत राशि यहां पर कैसे आई। तब आरोपी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यह रिश्वत राशि मैनें ही यहां लाकर रखी है। रिश्वत राशि आरोपी श्री बुधराज बिश्नोई द्वारा अपनें सरकारी निवास के बरामदें में रखें बैड पर रखें बैग में रखी गई थी। समक्ष गवाहान व परिवादी व सह परिवादी के रिश्वत राशि 370000 रूपयें स्कूल बैग से बरामद हुई है। जिस पर एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डालकर सफेद कपडे की चिन्दी को घोल में भिगोकर बैग के अन्दर के हिस्से में जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को रगड रगड कर प्लास्टिक के गिलास में पानी निचोडा गया तों घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क बी.-1 व बी.-2 अंकित किया गया। उक्त स्कूल बैग से रिश्वत राशि बरामद हुई है, अत उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षकर करवाकर उक्त स्कूल बैग के पैकेट कों मार्क बी अंकित कर कब्जा ब्यूरों लिया गया।इसके बाद दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा रूबरू परिवादी, सह परिवादी एवं ब्यूरों जाब्ता के फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों का मिलान हेतु गवाह श्री बलदेव राम को फर्द पेशकशी सुपर्द कर एवं रिश्वत राशि पूर्व से ही गवाह श्री राजेन्द्र सैन के पास मौजूद है, का फर्द पेशकशी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के कुल 200 नोट मूल्य कुल एक लाख रूपयें होना पाई गई। रिश्वत राशि कों 500-500 की डमी करेन्सी के 540 नोट से, 11 नोट भारतीय मुद्रा के आगे व पीछे 11 नोट डालकर एवं 78 नोट 500 की डमी करेन्सी के प्रत्येक गड्डी में डालकर कुल छ गड्डिया सौ-सौ नोटों एवं एक गड्डी में 72 नोट 500-500 की डमी करेन्सी एवं 500-500 रूपये भारतीय मुद्रा नोट 14 आगे व 14 पीछे लगाकर सातवी गड्डी तैयार की गई एवं 40 नोट 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के 20,000 रूपयें की गड्डी अलग सें बनाई गई थी, जिस पर उक्त राशि डमी करेन्सी एवं भारतीय मुद्रा की हूबहू पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार है-(1.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर [illegible]ED 552379, (2.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर IFQ 355652 (3.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3SP 9946[illegible], (4.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0CK 747057, (5.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1TC 592033, (6.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8KS 858591, (7.) 500 रूपये का एक नोट, नम्बर 1EH 418770, (8.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5HP 953383, (9.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7NH 982446, (10.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AU [illegible]5844 , (11.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5EU 212197, (12.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7SA 6929[illegible], (13.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0RH 199956, (14.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9GS 953715, (15.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9EN 685456, (16.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6DN 614505, (17.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2QR 829946, (18.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PC 880659, (19.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3CD 518622, (20.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0HR 318735, (21.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9[illegible]D 437851, (22.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HA 558573, (23.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3WC 6578[illegible], (24.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0BK 139548, (25.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BM 655771, (26.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8QE 463528, (27.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7EQ 694866, (28.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9VM 846327, (29.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2CA 073123, (30.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0RU 601596,(31.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8KR 277953, (32.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर [illegible]PU 016868, (33.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KK 876070, (34.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DA 8642[illegible], (35.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6NH 471475, (36.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1KM 659281, (37.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4DH 773537, (38.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0CF 288503, (39.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6QH 199636, (40.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0DM 792780, (41.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8HT 929304, (42.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9NQ 220466, (43.) 500 रूपये का एक नोट

नम्बर 0PD 537466, (44.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CD 289374, (45.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BU 294388, (46.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5FG 703932, (47.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9WF 792657, (48.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5CU 610055, (49.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2TL 370398, (50.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7EM 143424, (51.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3FQ 917468, (52.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2HW 809314, (53.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8EH 813604, (54.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1VN 022935, (55.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552394, (56.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552393, (57.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9MN 489806, (58.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552392, (59.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552391, (60.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552390, (61.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552389, (62.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552388, (63.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552387, (64.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552386, (65.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552385, (66.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552384, (67.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552383, (68.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552382, (69.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552381, (70.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7DN 380179, (71.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7DN 380178, (72.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7DN 380177, (73.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7DN 380176, (74.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7DN 380175, (75.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9HN 027660, (76.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9QC 088658, (77.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7NG 932014, (78.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0KR 329405, (79.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9AT 119159, (80.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CL 716721, (81.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0RL 612690, (82.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8KQ 065874, (83.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7RH 331701, (84.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6RF 767779, (85.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0EK 917698, (86.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6QH 595162, (87.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1MQ 167961, (88.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8DP 268908, (89.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4QB 811580, (90.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3BH 379844, (91.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3SW 844283, (92.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5PS 425370, (93.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3DD 133934, (94.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4UG 181728, (95.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FW 975014, (96.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1RM 828591, (97.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7WP 167054, (98.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1NC 710169, (99.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5NB 758266, (100.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0ED 552380, (101.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1NE 666682, (102.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1NE 666683, (103.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5VA 287171, (104.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114902, (105.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114901, (106) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114903, (107.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114904, (108.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114905, (109.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114906, (110.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114907, (111.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114908, (112.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114909, (113.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114910, (114.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114911, (115.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114912, (116.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114913, (117.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114914, (118.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114915, (119.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114916, (120.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114917, (121.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114918, (122.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114919, (123.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114920, (124.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114921, (125.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114922, (126.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114923, (127.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114924, (128.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114925, (129.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114931, (130.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114932, (131.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114933, (132.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114934, (133.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114935, (134.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114936, (135.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114937, (136.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114938, (137.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114939, (138.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114940, (139.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114941, (140.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114942, (141.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114943, (142.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114944, (143.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114945, (144.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114946, (145.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG

114947, (146.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114948, (147.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114949, (148.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114950, (149.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114951, (150.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114952, (151.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114953, (152.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114954, (153.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114955, (154.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114956, (155.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114957, (156.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114958, (157.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114959, (158.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114960, (159.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7SR 604497, (160.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0FM 238424, (161.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3FF 461281, (162.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5BQ 697971, (163.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KK 536873, (164.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8BE 545269, (165.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4VN 565386, (166.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7KU 835285, (167.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7HU 193837, (168.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3EQ 481571, (169.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5DN 891851, (170.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6PA 215412, (171.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4KF 073604, (172.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2DU 895688, (173.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8DB 823887, (174.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FQ 050961, (175.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FQ 567815, (176.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5GD 831831, (177.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FF 793260, (178.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FF 793259, (179.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3SC 483762, (180.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2EQ 338139, (181.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4LN 469483, (182.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4BG 127273, (183.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7CA 627091, (184.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1AF 675922, (185.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2WT 013526, (186.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AE 096856, (187.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3HC 151009, (188.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5TL 851114, (189.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1LB 063110, (190.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5CG 471461, (191.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1HU 933414, (192.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FL 525888, (193.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1BS 015892, (194.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1HF 779502, (195.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0PR 796237, (196.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114930, (197.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114929, (198.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114926, (199.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114928, (200.) 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GG 114927,उक्त भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 200 नोट के कुल राशि 1,00,000/-रूपये को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। उक्त डमी करेन्सी के 500-500 रूपये के 540 नोट को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। रिश्वत राशि एक पुराने अखबार में लपेटकर रखी गई थी उक्त अखबार को भी एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया।आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई की जामा तलाशी गवाह श्री बलदेव राम से लिराई गई तों आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का आईफोन 14 मिला। जिसके आईएमईआई नम्बर ([redacted] व मोबाईल में सिम नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी की होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। आरोपी डा बुधराज बिश्नोई का आधार कार्ड [redacted] भी कब्जा ब्यूरों लिया गया। उक्त मोबाईल फोन में आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई व सीएमएचओं जोधपुर ग्रामीण श्री मोहनलाल देथा के बीच हुई वाटसअप चैट ईत्यादि कों रूबरू गवाहान के आईन्दा वाटसअप से स्क्रीन शॉट लेकर कब्जा ब्यूरों ली जावेगी।परिवादी श्री यशवन्त के चचेरे भाई श्री खुशवन्त वैष्णव के जनता क्लिनिक में फार्मासिस्ट के पद पर एवं परिवादी श्री यशवन्त का मित्र श्री दीपक को जनता क्लिनिक में सफाई कर्मी के पद हेतु नियुक्ति बाबत आरोपी डॉ. बुध राज द्वारा रिश्वत राशि मांगने बाबत दिनांक 12.11.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.11.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी डॉ. बुध राज द्वारा परिवादी के भाई श्री खुशवन्त वैष्णव को नियुक्ति देने बाबत 3,00,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं परिवादी के मित्र श्री दीपक के सफाई कर्मी के पद हेतु 70,000/- रूपये की मांग करना, आज दिनांक 14.11.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी डॉ. बुध राज द्वारा राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा स्थित अपने सरकारी आवास में परिवादी श्री यशवन्त से 3,70,000/-रूपये प्राप्त करना, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल स्कूल बैग जहां से रिश्वत राशि रूबरू गवाहान बरामद हुई उक्त बैग का धोवन गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर टेबल पर रखने से टेबल का धोवन भी हल्का गुलाबी प्राप्त होना पाये जानें पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। चूकि आरोपी डॉ. बुध राज द्वारा सीएमएचओ के कहने पर परिवादी से रिष्वत राषि लेना प्रारम्भिक पूछताछ में बताया गया है। जिस पर आईन्दा रूबरू अनुसंधान एवं आरोपी के मोबाईल में दोनो के बीच हुई वाट्सअप चैट इत्यादि के आधार पर डॉ. मोहनदान देथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण की भूमिका की जांच की जायेगी।अब तक की कार्यवाही से आरोपी डा0 बुध राज पुत्र श्री भाकरराम जाति बिश्नोई उम्र 32 साल निवासी आम का चौक रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी आरोपी डा0 बुध राज पुत्र श्री भाकरराम जाति बिष्नोई उम्र 32 साल निवासी आम का चौक रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धोवन की कार्यवाही मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई।वक्त 04.30 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सरकारी आवास का नक्शा मौका घटना स्थल रूबरू परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान के मूर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया।वक्त 05.15 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई पुत्र श्री भाकरराम जाति बिश्नोई उम्र 32 साल निवासी आम का चौक रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर को किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित इनके पिता श्री भाकरराम को रूबरू दी गई।वक्त 05.55 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मय हमराहीयान के सरकारी वाहन व निजी वाहन सें मय आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर एवं जब्त किये गये प्रादर्श रिश्वत राशि शील्ड शुदा 1,00,000 रूपयें, डमी राशि के 500-500 के 540 नोट, अखबार जिसमें रिश्वत राशि लपेट कर रखी गई थी, का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, रिश्वत राशि बरामद स्थान स्कूल बैग का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, आरोपी का आधार कार्ड, आरोपी का एप्पल कम्पनी का आईफोन, आरोपी के दोनों हाथों व टेबल, स्कूल बैग के अन्दर के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, टी 1 व टी 2, बी 1 व बी 2, चिन्दी का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं पत्रावली एवं मौके पर तैयार किये गये दस्तावेज सहित राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा से जोधपुर के लिए रवाना हुआ।वक्त 07.25 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर पहुंचा। प्रकरण से संबंधित रिश्वत राशि शील्ड शुदा 1,00,000 रूपयें, डमी राशि के 500-500 के 540 नोट, अखबार जिसमें रिश्वत राशि लपेट कर रखी गई थी, का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, रिश्वत राशि बरामद स्थान स्कूल बैग का कपडे की थैली में शील्ड शुरा पैकेट, आरोपी का आधार कार्ड, आरोपी का एप्पल कम्पनी का आईफोन, आरोपी के दोनों हाथों व टेबल, स्कूल बैग के अन्दर के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, टी 1 व टी 2, बी 1 व बी 2, चिन्दी का कपडे की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात् कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉडर के मैमोरी कार्ड जिसमें जिसमें दिनांक 14.11.2025 को परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक व आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं अन्य फोन पर हुई वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अलमारी में रखा गया। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक को दिनांक 15.11.2025 को प्रात 09.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।वक्त 07.50 पी.एम. पर आरोपी डा बुधराज चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एंव बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु चिकित्सा प्रभारी, सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी उदयमन्दिर जोधपुर के नाम पृथक-पृथक तहरीर लिखकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक मय श्री अमित कुमार कानि. नम्बर 270 एवं श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 के सरकारी वाहन के राजकीय सैटैलाईट अस्पताल पावटा के लिये मय आरोपी डा0 बुधराज के रवाना किया गया।वक्त 08.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता के पावटा सैटेलाईट अस्पताल पहुंच आरोपी डा0 बुधराज का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की। ताबाद आरोपी को पुलिस थाना उदमन्दिर की हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई, आरोपी की निगरानी हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा श्री कालूराम कानि. नम्बर 246 एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर को मामुर कर हाजिर एसीबी चौकी आये। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व प्राप्ति रसीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शामिल रंनिग नोट

श्री। दिनांक 15.11.2025 वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहन श्री राजेन्द्र सेन कनिष्ठ लेखाकार व श्री बलदेवराम कनिष्ठ लेखाकार व परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.05 ए.एम. पर परिवादी श्री यशवन्त, सह परिवादी श्री दीपक एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री यशवन्त पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति वैष्णव उम्र 35 साल निवासी सुथारो का बास, बिलाड़ा जिला जोधपुर व डॉ. बुध राज पुत्र श्री भाकर राम जाति विष्नोई उम्र 32 वर्ष निवासी आम चौक ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जोधपुर के मध्य दिनांक 12.11.2025 को सह परिवादी श्री दीपक पुत्र श्री महेश कुमार जाति लखारा उम्र 26 साल निवासी सुथारो का बास, बिलाड़ा जिला जोधपुर की उपस्थित में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं सह परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रूबरू मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री यशवन्त ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी डॉ. बुध राज चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा की होना, सह परिवादी श्री दीपक ने उक्त रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री यशवन्त व दुसरी आवाज आरोपी डॉ. बुध राज चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो डीवीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं डीवीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो डीवीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक डीवीडी आरोपी के लिये एवं एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की डीवीडीयां एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।वक्त 10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री यशवन्त पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति वैष्णव उम्र 35 साल निवासी सुथारो का बास, बिलाड़ा जिला जोधपुर व डॉ. बुध राज पुत्र श्री भाकर राम जाति विश्नोई उम्र 32 वर्ष निवासी आम चौक ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा जोधपुर के मध्य दिनांक 14.11.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता एवं परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक पुत्र श्री महेश कुमार जाति लखारा उम्र 26 साल निवासी सुथारो का बास, बिलाड़ा जिला जोधपुर के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान मोबाईल पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं सह परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री छैलाराम कानि. नं. 46 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू एवं रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान परिवादी व सह परिवादी के मध्य फोन पर हुई वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री यशवन्त ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी डॉ. बुध राज चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाड़ा की होना, रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान फोन पर हुई वार्ता सह परिवादी श्री दीपक की होना एवं सह परिवादी दीपक द्वारा फोन पर हुई वार्ता अपनी एवं दुसरी वार्ता परिवादी श्री यशवन्त की होना बताया। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो डीवीडीयां तैयार की गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान परिवादी व सह परिवादी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता की अनुलिपि एवं डीवीडीयां तैयार करने के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक सफेद लिफाफे में डालकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो डीवीडीयां को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक डीवीडी आरोपी के लिये एवं एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के लियें तैयार की गई। उक्त दोनो खुली हालत की डीवीडीयों एवं सफेद कपड़े की थैली शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।वक्त 11.45 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की श्री अमित कानि. से

सरकारी मोबाईल फोन से से विडियोग्राफी की गई थी। जिसकी रूबरू गवाहान व परिवादी श्री यशवन्त एवं सह परिवादी श्री दीपक के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर से श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 से डीवीडी तैयार करवाई जाकर मालखाना प्रभारी श्री राकेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को जमा मालखाना की गई। समय 02.05 पी.एम. पर आरोपी डा0 बुधराज को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात से ब्यूरों जाब्ता की मदद से चौकी पर लेकर आये।वक्त 02.10 पी.एम. पर आरोपी डा0 बुधराज चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर के द्वारा रिश्वत राशि लेन देन के बाद रिश्वत राशि डा0 मोहनदान देथा के लिए लेना बताया था परन्तु डा0 मोहनदान देथा सीएमएचओं जोधपुर ग्रामीण सें बातचीत करने से मना कर दिया था। जिस पर आरोपी डा0 बुधराज का मोबाईल आईफोन एप्पल कम्पनी का दिनांक 14.11.2025 को कब्जा ब्यूरों लिया गया था। उक्त मोबाईल को मालखाना प्रभारी से मंगवाकर मोबाईल को ऑन किया गया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी एवं सह परिवादी, आरोपी डा0 पुखराज की उपस्थिति में उसके मोबाईल के वाटसअप में डा0 मोहनदान देथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण से हुई चेट कों मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चैक किया गया। उक्त चैट का स्क्रीन शॉट लेकर पेज संख्या 01 से 15 तक पर प्रत्येक पेज पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व सह परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट किया गया। उक्त चैट बाबत अनुसंधान के दौरान डा0 मोहनदान देथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण की उक्त मामलें में इनकी भूमिका बाबत अनुसंधान से स्पष्ट होगा। मोबाईल आईफोन को स्वीच ऑफ कर मालखाना में पुन जमा करवाया गया।समय 3.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही मे परिवादी श्री यशवन्त व सह परिवादी श्री दीपक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता नहीं होने पर कार्यालय से रूखस्त किया गया।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक की हस्ताक्षरित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.11.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यालय के कानि. श्री छैलाराम नम्बर 46 को परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव व सह परिवादी श्री दीपक के साथ भेजकर आरोपी डा0 बुधराज बिश्नोई चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर के मध्य करवाया गया तों आरोपी डा0 बुधराज द्वारा परिवादी श्री यशवन्त वैष्णव के चचेरे भाई श्री खुशवन्त कों जनता क्लिनिक में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति देनें हेतु 3 लाख रूपयें रिश्वत की मांग करना व परिवादी के मित्र श्री दीपक को जनता क्लिनिक में सफाईकर्मी के पद हेतु नियुक्ति हेतु 70,000 रूपयें की मांग करना, दिनांक 14.11.2025 को रिश्वत राशि लेन देन के दौरान परिवादी श्री यशवन्त सें उसके चचेरे भाई श्री खुशवन्त को फार्मासिस्ट के पद हेतु 3 लाख व उसके मित्र को सफाईकर्मी के पद हेतु नियुक्ति देनें की एवज में 70,000 रूपयें कुल राशि 3,70,000 रूपयें प्राप्त कर गिन कर अपनें सरकारी आवास में टेबल पर रखना, परिवादी पर शक हो जाने पर परिवादी को बाहर भेज कर राशि को अपनें सरकारी आवास में छिपा कर अपनें सरकारी आवास पर ताला लगाकर बाहर आनें पर ब्यूरों स्टाफ की मदद से दस्तयाब करके रूबरू गवाहान व परिवादी व सह परिवादी के राशि सरकारी आवास सें स्कूली बैग सें बरामद होना, डा0 बुधराज के दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी व मटमैला प्राप्त होना, स्कूली बैग के अन्दर जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, का धोवन गुलाबी प्राप्त होना, रिश्वत राशि रखनें वालें स्थान टेबल का धोवन भी हल्का गुलाबी प्राप्त होना, बरामद स्कूल बैग ईत्यादि के आधार पर उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, डा0 बुधराज द्वारा रिश्वत राशि लेन देन के बाद रिश्वत राशि डा0 मोहनदान देथा के लिए लेना बताना, डा0 बुधराज व डा. मोहनदान देथा के बीच हुई वाटसअप चैटिग के आधार पर डा0 मोहनदान देथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट होगा।अत डा0 बुधराज चिकित्साधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्तें क्रमांकन हेतु प्रेषित है।(चक्रवर्ती सिंह राठौड)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर.......... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चक्रवर्ती सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. बुधराज पुत्र श्री भाकरराम जाति बिश्नोई उम्र 32 साल निवासी आम चौक ग्राम रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल चिकित्सा अधिकारी राजकीय ट्रोमा सेन्टर बिलाडा जिला जोधपुर एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री औमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 320 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1711-14 दिनांक 17.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- निदेशक (जनस्वा.) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाऐ राज. जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): OM PRAKASH Chodhary Rank (पद): अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No.(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :
on (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1?/?1/2025

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)